



राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम
ADDL. CHIEF ENGINEER-I,

No. ACE-I/RHB/JPR/2022-23/ 07

Date :- 6/4/2022

निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 14/2021-22 दिनांक 11.02.2022 के मद संख्या 2 "Fire Fighting work of Campus of Teacher and Constable's flats scheme, Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur" की निविदा को संवेदक द्वारा सशर्त बिड दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। उपरोक्त आदेश को पत्रावली पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. तकनीकी सहायक-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. आवासीय अभियंता, ई-प्रोक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा निरस्त करने का श्रम करें।
5. आवासीय अभियंता, खण्ड-दशम्, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ)-अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम